



जयपुर पुलिस ने पकड़ा फर्जी कॉल सेंटर, 8 अरेस्ट

एक महीने में 400 लोगों से ठगे 1 करोड़, बचने के लिए बदलते रहते थे ऑफिस

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। जयपुर

पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का पांचफास की सारी सेवा का केन्द्र खुलावने के नाम पर ठगी करता है। पुलिस टीम के दबिश कर गुरुवार को मास्टरमाइंड सहित 8 बदलायों को अरेस्ट किया है। स्पार्ट डिजिटल सेवा केंद्र के नाम से फर्जी कॉल सेंटर चलाकर आधार, पैन कार्ड सहित ई-मित्र एजेंसी देवे के नाम पर ठगी की जा रही थी। पुलिस जांच में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर करोड़ों रुपए, ठगी काना सामने आया है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर में जगह बदलते रहते थे।

DCP (ईस्ट) तेजस्वी गौतम ने बताया— पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 7 मोबाइल, 16 मॉनिटर व 16 सीपीयू, 1 लेपटॉप व कॉलिंग डाटा आदि जत्त किया है। पछात भी मामले में आया है कि सितम्बर महीने में करीब 400 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की गई है। पुलिस से बचने के लिए जयपुर शहर के विभिन्न इलाकों में जगह बदल बदल कर कॉल सेंटर चलाते थे। फिल्हाल कई सालों से कॉल सेंटर चलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं।

कॉल सेंटर चलाता थिला

दरअसल, मुखियर से सूचना मिली थी कि मालीय नार नियत एक बिल्डिंग की थल्ड फ्लॉर पर प्रमोट नाम का युवक डिजिटल सीएससी केंद्र के नाम से ऑफिस चलता है। वह अपने स्टाफ के साथ लोगों को डिजिटल जनन सेवा के नाम से ठग बदलता रहता है। इस देने पर एक हॉल में दो टेबलों पर 16 कम्प्यूटर रखे मिले। ऑनर के बारे में पूछे पर लैपटॉप पर काम करने मिले प्रमोट ने खुद को हाना बताया। पूछताछ करने पर बताया कि हम फेसबुक पर स्पार्ट डिजिटल सेवा केंद्र का ऐड चलाकर लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाकर उसका डाटा जैसे— नाम, पास व मोबाइल नंबर आदि लेते हैं। स्पार्ट डिजिटल सेवा केंद्र की सेवाएं उपयोग करने के लिए लोगों से डॉक्यूमेंट लेकर विभिन्न प्रकार की फोटो के नाम पर रुपए ऐंटर किया गया।

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी (VDO) ज़ारिया, चूरू के ट्रांसफर आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अधिकारी ने रोक लगाया है। अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाया। रोक ने इस मामले में पंचायतीरता विभाग के आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू, विकास अधिकारी पंचायत समिति चूरू और सरपंच ग्राम ज़ारिया को नोटिस जारी करते हुए जबाब भी मांगा है। प्रार्थियां की ओर से वर्षारोहण करने वाले अधिकारा प्रेमचंद देवदा और अंकित स्वामी ने बताया— सरपंच ज़ारिया की झूठी शिकायत पर पंचायत समिति चूरू के विकास अधिकारी ने 12 सितंबर के आदेश से प्रार्थियां का ट्रांसफर करके उसे जिला परिषद चूरू के लिए कार्यमुक्त कर दिया।

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। प्रदेश में ट्रांसफर पर बैन के बावजूद ग्राम विकास अधिकारी (VDO) ज़ारिया, चूरू के ट्रांसफर आदेश पर राजस्थान सिविल सेवा अधिकारी ने रोक लगाया है। अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले और सदस्य शुचि शर्मा ने ग्राम विकास अधिकारी मुकेश की अपील पर सुनवाई करते हुए रोक लगाया। रोक ने इस मामले में पंचायतीरता विभाग के आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू, विकास अधिकारी पंचायत समिति चूरू और सरपंच ग्राम ज़ारिया को नोटिस जारी करते हुए जबाब भी मांगा है। प्रार्थियां की ओर से वर्षारोहण करने वाले अधिकारा प्रेमचंद देवदा और अंकित स्वामी ने बताया— सरपंच ज़ारिया की झूठी शिकायत पर पंचायत समिति चूरू के विकास अधिकारी ने 12 सितंबर के आदेश से प्रार्थियां का ट्रांसफर करके उसे जिला परिषद चूरू के लिए कार्यमुक्त कर दिया।

जयपुर, 3 अक्टूबर (का.सं.)। उच्चतम न्यायालय ने जाति-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली को नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए

नई दिल्ली, 03 अक्टूबर (वेब वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कुछ राजनी की जेल नियमावली के भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खारिज कर दिया तथा जाति आधारित भेदभाव को बढ़ावा देने वाली जेल नियमावली के नियमित किया।

देने वाली जेल नियमावली के नियम खारिज किए</p